

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :-श्रीमती उमादेवी

विपक्षी :-श्री बंशीलाल

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 47/14

जीसीएमएस नम्बर :-2014/00006

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 09.06.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश करने पर राजीनामों के आधार पर मूल वाद विद्रो किया जा चुका है।</p> <p>अतः मूल वाद में राजीनामा हो जाने से तथा विद्रो किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः उक्त प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	